संख्याः 310077 /E-51940/FCD-IRFC/FFCG/6/2023

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1

::देहरादूनः: दिनांकः 30 जून, 2025

विषयः– **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को टाईड अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय किश्त हेतु अंतरित धनराशि पर देय ब्याज का संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरण किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 254718/F-51438/FCD-IRFC/FFCG/6/ 2023, दिनांकः 22.11.2024 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त रू0 64.53 करोड़ संबंधित निकायों को अंतरित करने के लिये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त की गई थी। शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने पत्रावली सं0– 88017 के माध्यम से शासनादेश दिनांकः 22.11.2024 द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग के निवर्तन पर रखी गई धनराशि का आहरण कर संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को 01 दिवस के विलम्ब से अंतरित किये जाने के संबंध में ब्याज भुगतान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2– उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांकः 22.11.2024 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त हेतु अंतरित धनराशि पर देय ब्याज रू0 1,36,309.00 (रू0 एक लाख छत्तीस हजार तीन सौ नौ मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न फॉट एवं संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक–1) संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने हेतु आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क.सं.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त पर देय ब्याज का शहरी स्थानीय निकायों को अंतरण (रूपयें में)
1–	नगर निगमें	59469
2–	नगर पालिका परिषदें	55939
3–	नगर पंचायतें	16076
4–	छावनी परिषदें/बोर्ड	4825
	योग (एक लाख छत्तीस हजार तीन सौ नौ मात्र)	**136309**

3– उपर्युक्त अनुदान की धनराशि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अन्तर्गत अंतरित की जानी हैः–

(1) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/(वि.आ.निदे.)/ xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं विभागीय पत्रावली में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी बोर्डो के बीच अनुदान की धनराशि का पारस्परिक वितरण किया गया है।

(2) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) एवं छावनी बोर्डो को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा।

(3) आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) को दो बराबर भाग में (50-50 प्रतिशत) विभाजित कर निम्नवत उपयोग किया जायेगाः–

a) **अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) हेतु किया जायेगा।**

b) **अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (MoH & UA) द्वारा विकसित स्टार रेटिंग की प्राप्ति के लिए किया जायेगा।**

(4) अंतरित धनराशि के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर–I व II पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी बोर्ड सहित) संकलित सूचना विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अतंरित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकाय के नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी तथा छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांकः 31 अगस्त, 2025 तक निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शहरी विकास विभाग द्वार समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(10) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर **"15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य"**, निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत अवश्य इंगित की जायेगी।

(11) अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(12) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 की अनुदान संख्याः 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगाः–

क.सं.	मानक मद का विवरण	ब्याज भुगतान हेतु अंतरित धनराशि (रूपये में)
1–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–02–नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	59469
2–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना –04–नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	55939
3–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–06–नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	16076
4–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–14–केन्द्रीय वित्त आयोग से केन्टोंमेन्ट बोर्ड हेतु प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	4825
योग (रू0 एक लाख छत्तीस हजार तीन सौ नौ मात्र)		**136309**

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
HIMANSHU KHURANA
Date: 30-06-2025
13:32:49

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संख्याः 3100**77**/ **E-51940/FCD-RFC/FFCG/6/2023, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त संबंधित मुख्य /वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित मुख्य/ वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
11. संबंधित नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी/ मुख्य अधिशासी अधिकारी –नगर निगम/नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत/ छावनी बोर्ड (केन्टोन्मेन्ट बोर्ड), उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संलग्नक–1

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में टाईड **(Tied Grant)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय किश्त की धनराशि पद देय ब्याज का अंतरण

(धनराशि रूपये में)

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	ब्याज की धनराशि का स्थानीय निकायों को अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1–नगर निगमः–				
1-	देहरादून	1	देहरादून	19963
		2	ऋषिकेश	2715
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	5882
		4	रूड़की	4813
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	6172
4-	ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	4341
		7	रूद्रपुर	4835
5-	पौड़ी गढवाल	8	कोटद्वार	3873
		9	श्रीनगर	1831
6-	अल्मोड़ा	10	अल्मोड़ा	2119
7-	पिथौरागढ़	11	पिथौरागढ़	2925
योग (1) नगर निगम				**59469**
2–नगर पालिका परिषद				
2-	बागेश्वर	1	बागेश्वर	1514
3-	चमोली	2	गोपेश्वर	1461
		3	जोशीमठ	1662
		4	गौचर	985
		5	कर्णप्रयाग	915
4-	चम्पावत	6	चम्पावत	967
		7	टनकपुर	1080
		8	लोहाघाट	525
5-	देहरादून	9	मसूरी	3514
		10	विकासनगर	1373
		11	डोईवाला	2645
		12	हरबर्टपुर	755
6-	हरिद्वार	13	मंगलौर	2272
		14	लक्सर	1242
		15	शिवालिक नगर	1596

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	ब्याज की धनराशि का स्थानीय निकायों को अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7-	नैनीताल	16	नैनीताल	2564
		17	रामनगर	2578
		18	भवाली	842
		19	कालाढूंगी	492
8-	पौड़ी गढ़वाल	20	दुगड्डा	755
		21	पौड़ी	1922
9-	पिथौरागढ़	22	धारचूला	965
		23	डीडीहाट	965
10-	रूद्रप्रयाग	24	रूद्रप्रयाग	1044
11-	टिहरी	25	नरेन्द्रनगर	650
		26	मुनिकीरेती–ढालवाला	1588
		27	टिहरी	1676
		28	चम्बा	664
		29	देवप्रयाग	972
12-	ऊधम सिंह नगर	30	बाजपुर	1467
		31	गदरपुर	1149
		32	जसपुर	2396
		33	खटीमा	2516
		34	किच्छा	3279
		35	सितारगंज	1555
		36	महुआखेड़ा गंज	744
13-	उत्तरकाशी	37	उत्तरकाशी	1735
		38	बड़कोट	915
योग (2) नगर पालिका परिषदें–				55939
3–नगर पंचायतें–				
1-	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	339
		2	भिक्यासैण	301
		3	चौखुटिया	301
2-	बागेश्वर	4	कपकोट	270
3-	चमोली	5	नन्दप्रयाग	390
		6	गैरसैंण	621
		7	पोखरी	446
		8	थराली	316
		9	पीपलकोटी	452
4-	चम्पावत	10	बनबसा	292

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	ब्याज की धनराशि का स्थानीय निकायों को अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5-	देहरादून	11	सेलाकुई (नव गठित)	803
6-	हरिद्वार	12	झबरेड़ा	643
		13	लण्ढौरा	1039
		14	भगवानपुर	747
		15	पीरान कलियर	1113
7-	पौड़ी गढ़वाल	16	जौंक (स्वर्गाश्रम)	549
		17	सतपुली	342
9-	रूद्रप्रयाग	18	अगस्तमुनी	564
10-	टिहरी गढ़वाल	19	कीर्तिनगर	443
		20	गजा	282
11-	नैनीताल	21	लालकुँआ	456
		22	भीमताल	1029
12-	ऊधमसिंह नगर	23	महुआडाबरा हरिपुरा	479
		24	सुल्तानपुर	588
		25	केलाखेड़ा	643
		26	दिनेशपुर	700
		27	शक्तिगढ़	502
		28	नानकमत्ता	401
13-	उत्तरकाशी	29	पुरोला	637
		30	नौगॉव	388
योग (3) नगर पंचायतः—				16076
4—छावनी बोर्ड :—				
1-	अल्मोड़ा	1	रानीखेत	733
2-	देहरादून	2	चकराता	199
		3	क्लेमेन्टाउन	877
		4	देहरादून	2047
		5	लेण्डौर	138
3-	पौड़ी	6	लैंसडाउन	220
4-	नैनीताल	7	नैनीताल	54
5-	हरिद्वार	8	रूड़की	557
योग (4) छावनी बोर्ड				**4825**
महायोग **(1+2+3+4)**				136309

(रू0 एक लाख छत्ततीस हजार तीन सौ नौ मात्र)

Digitally signed by HIMANSHU KHURANA
Date: 30-06-2025 13:33:36

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070042
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	02-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	59469	0	59469
योग	0	59469	0	59469

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.59,469 (Rupees Fifty Nine Thousand Four Hundred Sixty Nine Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0005
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070041
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	04-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	55939	0	55939
योग	0	55939	0	55939

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.55,939 (Rupees Fifty Five Thousand Nine Hundred Thirty Nine Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0004
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–0•
उत्तराखण्ड

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070043
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	06-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	6

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	16076	0	16076
योग	0	16076	0	16076

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.16,076 (Rupees Sixteen Thousand Seventy Six Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0006

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
[illegible] शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25070070047
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	14-केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा कैंटोमेंट बोर्ड हेतु संस्तुत टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	4825	0	4825
योग	0	4825	0	4825

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.4,825 (Rupees Four Thousand Eight Hundred Twenty Five Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2507:0010

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
अनुभाग–01
शासन